2023 | 162

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री धीरेन्द्र असारसा<br>निवासी रोज व्यू<br>आबूपर्वत<br>जिला सिरोही। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 54 वर्ष 2023

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 04.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा सूचना आयोग में अधिवक्ता नियुक्त करने बाबत् अधिकृत आदेश एवं अधिवक्ता को किए गए भुगतान के वाउचर या चैक की प्रति एवं यह भुगतान राजकोष से नहीं किया गया है, तो यह किसके द्वारा भुगतान किया गया है, उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 04.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा सूचना आयोग में अधिवक्ता नियुक्त करने बाबत् अधिकृत आदेश एवं अधिवक्ता को किए गए भुगतान के वाउचर या चैक की प्रति एवं यह भुगतान राजकोष से नहीं किया गया है, तो यह किसके द्वारा भुगतान किया गया है, उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(डॉ. भँवर लाल)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |

Scanned with CamScanner